

स्वतंत्र और निषिपक्ष चुनाव की पुनरकल्पना

यह एडटिरियल 06/12/2022 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "India is paving the way for truly accessible elections" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में चुनाव और उनसे संबंधित चुनौतियों के बारे में चरचा की गई है।

संदर्भ

भारतीय संविधान के संस्थापकों ने प्रत्ननिधिकि संसदीय लोकतंत्र की कल्पना भारत के लोकाचार, पृथग्भूमि और आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त राज्य व्यवस्था के रूप में की थी।

- उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी वयस्क नागरिकों की बनि कस्ती भेदभाव के समान भागीदारी की प्रक्रिया की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के माध्यम से लोगों के प्रत्ननिधियों का **चयन और स्वतंत्र एवं निषिपक्ष चुनाव** (Free And Fair Elections) भारतीय गणतंत्र के लिये सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं।
- भारत में चुनावों का आयोजन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान प्रविद, स्थानीय निकाय, नगर नगिम, ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत एवं प्रखंड पंचायत के सदस्यों के नियोजन के साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के नियोजन के लिये कराया जाता है।
- लेकिन मौजूदा चुनाव प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसकी 'स्वतंत्र एवं निषिपक्ष' प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं। इसलिये यह ज़रूरी है कि इन मुद्दों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए और इन्हें समग्र रूप से संबोधित किया जाए।

भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्नयेक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित होंगे।
- अनुच्छेद 324 के अनुसार, नियोजनों के लिये नियोजन-नामावली (मतदाता सूची) तैयार कराने का और उन सभी नियोजनों के संचालन का अधीक्षण, नियन्त्रण और नियंत्रण **नियोजन आयोग में नहित होगा**।
- अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत स्थानीय निकायों—पंचायती और नगर निकायों के चुनाव की ज़मिमेदारी **राज्य चुनाव आयोगों** पर है।
- अनुच्छेद 328 राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्तिप्रदान करता है।

नियोजन आयोग की शक्तियाँ और ज़मिमेदारियाँ

- पूरे देश में नियोजन कषेतरों की क्षेत्रीय सीमाओं का नियोजन।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उन्हें संशोधित करना तथा सभी अरहत मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- चुनावों के कार्यक्रम और तथियों को अधिसूचित करना तथा नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव च्यहिन आवंटित करना।
- चुनाव के बाद संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की आयोगियता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- आवश्यकता पड़ने पर कस्ती भी नियोजन कषेत्र में उपचुनाव कराने के लिये भी यह ज़मिमेदार है।

भारत में स्वतंत्र एवं निषिपक्ष चुनाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- मतदाताओं के सूचना-संपन्न नियन्त्रण को विकृत करना:** अनियंत्रित लोकलुभावनवाद के कारण **चुनाव अभियानों के दौरान 'अतारकि मुक्त'** (उपहारों) (Irrational Freebies) की पेशकश की जाती है जो मतदाताओं को (वशीष रूप से वंचित समूहों के मतदाताओं को) पक्षपाती बनाता है क्योंकि ऐसे मुक्त उपहार उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपने प्रत्ननिधियों को चुनने की सूचना-संपन्न नियन्त्रण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- स्वतंत्र करमचारियों की कमी:** चूंकि भारत नियोजन आयोग (ECI) के पास सवयं के करमचारी नहीं होते हैं, इसलिये जब भी चुनाव होते हैं तो इसे करमचारियों के लिये केंद्र और राज्य सरकारों पर नियन्त्रण रहना पड़ता है।
- परिणामस्वरूप, प्रशासनिक करमचारी ही सामान्य प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़मिमेदार होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को कम निषिपक्ष और कुशल बनाता है।

- **आदरश आचार संहति (MCC)** को लागू करने के लिये कोई सांवधिकि समर्थन नहीं: जहाँ तक आदरश आचार संहति (MCC) को लागू करने और अन्य चुनाव संबंधी नरिणयों का संबंध है, इन्हें जमीनी स्तर पर प्रवर्त्तिकरण करने के लिये भारत नरिवाचन आयोग (ECI) की शक्तियों के बारे में स्पष्टता का अभाव है।
 - ‘बूथ कैप्चरगी’: मतदान केंद्र—जो मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु नरिदृष्टि स्थान होता है, चुनाव प्रकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है।
 - राजनीतिक नैतिकता के मानकों में गरिवट के कारण ‘बूथ कैप्चरगी’ के कई दृष्टितंत्र समाने आते रहे हैं जहाँ कसी पार्टी के वफादार या भाड़े के अपराधी मतदान केंद्र पर ‘कब्जा’ कर लेते हैं और वैध मतदाताओं के बदले स्वयं मतदान करते हैं ताकि कसी उम्मीदवार विशेष की जीत सुनिश्चित हो सके।
 - **सोशल मीडिया का राजनीतिकरण:** सोशल मीडिया जनमत को दर्शाता है, जो लोकतंत्र की मुद्रा है। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह एक ‘इको चैम्बर’ (echo chambers) का नरिमान करता है जहाँ लोग केवल उन्हीं दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वे सहमत होते हैं।
 - सोशल मीडिया पर चलने वाले राजनीतिक अभियान कभी-कभी देश के वभिन्न हस्तियों में धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा कर देते हैं जो फरि नष्पिकष चुनाव प्रकरण को प्रभावित करते हैं।
 - **दवियांगजनों के लिये बूथ की दुर्गमता:** दवियांगजनों (PWD) की एक बड़ी संख्या को मतदान केंद्रों पर सहायक बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण अपना मत डालने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत नरिवाचन आयोग की हाल की प्रमुख पहलें

- **व्यवस्थित मतदाता शक्षिए और चुनावी भागीदारी** (Systematic Voters' Education and Electoral Participation- SVEEP)
 - आदरश मतदान केंद्र (Model Polling Station)
 - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुगम चुनाव के लिये समिति (Committee for Accessible Elections at National and State Level)
 - मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (Electors Verification Programme)।
 - **Cvigil ऐप** - आदरश आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की रपोर्ट करने के लिये
 - मतदाता हेल्पलाइन ऐप - पंजीकरण प्रक्रथा को आसान बनाने के लिये
 - **दिवियांग सारथी और दिवियांग डोली**

आगे की राह

- **चुनावों का लोकतंत्रीकरण:** लोकतंत्र में सभी दलों के लिये समानता की मांग की जाती है और स्वतंत्र एवं नष्टिपक्ष चुनाव उन अवसरों को सुनिश्चित करते हैं।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये की अलपसंख्यक राजनीतिक अभियानों पर भी समान ध्यान दिया जाए, राजनीतिक उद्देश्यों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में कठोर मानदंड स्थापित किये जाने चाहयि।
 - भारत निरिवाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिये वृहत प्रयास करना चाहयि कि चुनाव में सततारूढ़ दल को अन्य दलों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो।
 - राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप चुनावी अभियानों के संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नविंत्रण सुनिश्चित करने के लिये वनियमन होने चाहयि।
 - **कोई भी मतदाता मताधिकार से बंचति न हो:** स्वतंत्र एवं नष्टिपक्ष चुनाव आयोजित कराने के साथ ही निरिवाचन आयोग को आवश्यक बुनियादी ढाँचा एवं सुवधाएँ प्रदान करके (वैशिष्ट रूप से दिवियांगजनों के लिये) "सहभागी, सुगम, समावेशी" चुनाव सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहयि।
 - **मतदाता जागरूकता:** मुफ्त उपहारों के वितरण को रोकने या उन्हें स्वीकृत करने की शक्ति मतदाताओं के पास है। तरकीब मुफ्त उपहारों को वनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिये किमतदाता तरकीब वार्दों के बहकावे में न आएं, एक सरवसम्मत होनी चाहयि।
 - इसके लिये मतदाता वर्ग की ओर से शाश्वत सतरकता की आवश्यकता है।
 - **आदरश आचार संहति का अनुपालन सुनिश्चिति करना:** राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिये आदरश आचार संहति का प्रवरत्तन आवश्यक है। इसके लिये इसे सांवधिक समर्थन प्रदान करना आवश्यक है ताकि सूचना-संपन्न मतदाता व्यवहार में हेरफेर को रोकने के लिये चुनाव घोषणापत्रों को प्रभावी ढंग से वनियमित किया जा सके।
 - **चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रपिरेट:** रपिरेट में लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय की तरह भारत निरिवाचन आयोग के लिये भी एक स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
 - इसके अलावा, राज्य निरिवाचन आयोगों के लिये भी समान प्रावधान करने चाहयि ताकि चुनावों में उनकी स्वायत्तता और नष्टिपक्षता की भी गारंटी सुनिश्चित हो सके।

अभ्यास प्रश्न: भारत में चुनावों से संबंधित हर ग्रन्थ चुनौतियों की चर्चा करें और चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी एवं निषिपक्ष बनाने के उपाय सुझाएँ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये: (वर्ष 2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकिय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभाजन/वलिय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 3

उत्तर: (D)

?/?/?/?/? ?/?/?/?/?/?

प्रश्न. आदरश आचार संहिता के वकिास के आलोक में भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (वर्ष 2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reimagining-free-and-fair-elections>

